**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3029**
**उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026**

**कम लागत वाले एक महीने के वॉयस ओनली मोबाइल रिचार्ज प्लान की उपलब्धता**

**3029. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार डेटा सेवाओं के बंडल के बिना कम लागत वाले, केवल एक महीने की वैधता वाले वॉयस ओनली (केवल कॉल) रिचार्ज प्लान की सीमित उपलब्धता के संबंध में चिंताओं से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उन उपभोक्ताओं के लिए, जिन्हें डेटा सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, किफायती एक महीने के केवल कॉल वाले रिचार्ज विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल सेवा प्रदाताओं को कोई परामर्श, दिशानिर्देश या निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान में उपलब्ध केवल वॉयस रिचार्ज प्लान (डेटा लाभ के बिना) का टैरिफ राशि, वैधता अवधि और कॉल/एस.एम.एस. लाभों सहित सेवा प्रदाता-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को वॉयस प्लान के साथ डेटा सेवाओं की जबरन बंडलिंग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिससे टैरिफ बढ़ जाता है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा किफायती स्टैंडअलोन वॉयस रिचार्ज विकल्प सुनिश्चित करके उपभोक्ता पसंद, वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वाले ग्राहकों की रक्षा के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**
**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क), (ख), (ग) और (ड.) ट्राई अधिनियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं का स्वतंत्र नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) देश में दूरसंचार सेवाओं की दरों को

विनियमित करता है। मौजूदा नियामक टैरिफ ढांचे के अनुसार, नेशनल रोमिंग, रूरल फिक्स्ड लाइन सेवाएं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रभार, लीज़्ड सर्किट और यूएसएसडी जैसी सेवाओं को छोड़कर दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ फ़ॉरबियरेंस के तहत है।

इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 23.12.2024 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (12वां संशोधन) विनियम 2024 को अधिसूचित किया है जो निम्नलिखित को अधिदेशित करता है:

*"बशर्ते यह भी कि सेवा प्रदाता विशेषतः वॉयस और एसएमएस के लिए कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर प्रदान करेगा, जिसकी वैधता अवधि तीन सौ पैंसठ दिनों से अधिक नहीं होगी।"*

विनियम के अनुपालन में, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने संबंधित एलएसए में केवल वॉयस और एसएमएस पैक दे रहे हैं।

मौजूदा विनियामक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, सेवा प्रदाता बाजार की स्थिति की अपनी समझ और अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक हित में टैरिफ डिजाइन और ऑफ़र करने के लिए स्वतंत्र हैं। सेवा प्रदाताओं के पास उनके प्रचालन के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए प्रभारों और वैधता सहित बहुल संयोजनों के साथ विभिन्न प्रकार की कॉल, एसएमएस, डेटा ऑफ़र, आदि के लिए दरों जैसे विभिन्न टैरिफ घटकों का निर्णय लेने की सुविधा है। टैरिफ सेवा प्रदाताओं द्वारा इनपुट लागत, प्रतिस्पर्धा के स्तर और उनके वाणिज्यिक प्रतिफलों सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किए जाते हैं।

(घ) सीपीग्रामस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वॉयस प्लान के साथ डेटा सेवाओं को जबरन बंडल करने के संबंध में फरवरी 2026 तक 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को उचित कार्रवाई और निर्णायक निवारण के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओ (टीएसपी) को भेजा गया था। इसके बाद उक्त शिकायतों का ट्राई/संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओ से प्राप्त उत्तरों के आधार पर निपटारा कर दिया गया है।

******